# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

225RTA2024-050(GCMS2024-111)

जयकिशन पुत्र सालूराम विश्नोई
निवासी ग्राम रावर, तहसील बिलाडा
जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. घेवरराम पुत्र हरिराम विश्नोई
2. ओमप्रकाश पुत्र हरिराम विश्नोई
3. पूनाराम पुत्र हरिराम विश्नोई
4. भलाराम पुत्र हरिराम विश्नोई
   सभी निवासीगण ग्राम रावर,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिलाडा
   जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा दिनांक 20 फरवरी 2024 प्रकरण संख्या 17/2023 घेवरराम बनाम जयकिशन**

—— 0 ——

**उपस्थित -**
श्री मोतीसिंह, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5

## नि र्ण य

**दिनांक : 23 दिसम्बर 2024**

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा द्वारा प्रकरण संख्या 17/2023 घेवरराम बनाम जयकिशन में पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 12 मार्च 2024 को पेश की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 4 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 499/1 रकबा 0.7281 हैक्टेयर व खसरा संख्या 499/2 रकबा 2.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम रावर तहसील बिलाडा तक आवागमन हेतु अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 2.1034 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ के सहारे-सहारे 30 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 को स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जो अभिकथन किये गये है, उनके अनुसार प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 51 के अन्तर्गत आता है जिसके संबंध में श्रवणाधिकार विचारण न्यायालय को उपलब्ध ही नहीं है। इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत आदेश पारित किये जाने के पूर्व प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु याचित रास्ते सहित उपलब्ध अन्य सभी वैकल्पिक रास्तों के संबंध में भी जांच किया जाना कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवश्यक होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गयी और अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2024 को प्रस्तुत अपनी प्रारम्भिक आपत्तियों के बताये गये किसी भी रास्ते पर कोई गौर विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। दिनांक 7 फरवरी 2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया,मगर उसके मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया और दिनांक 12 फरवरी 2024 को उक्त प्रार्थनापत्र एवं अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्तियॉ खारिज कर दिये गये और मूल प्रार्थनलापत्र बाबत बहस सुने बिना ही आगामी पेशी निर्णय हेतु नियत कर की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 को पारित कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तलब की गयी मौका रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त होने के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध किसी भी आदेशिका में कोई अंकन नहीं है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने के निमित पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किये गये और मौका रिपोर्ट अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने की दिनांक 19 जुलाई 2023 दर्शायी गयी है जिसमें मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया है, जबकि अपीलाण्ट की ओर से मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते की स्थिति पत्रावली पर पेश कर दी गयी। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति का सत्यापन नहीं कराया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के मूलभूत सिद्धान्तों, निर्धारित विधिक प्रकिया, विचारण न्यायालय को उपलब्ध श्रवणाधिकार एवं न्याय की मंशा के प्रतिकूल पारित किया जाने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने लिखित बहस प्रस्तुत की और 2020 आरआरडी 183, 2023(2) आरआरटी 1193, 2019 आरबीजे 147, 2020 आरबीजे 284, 2019 आरबीजे 636 व 2023 आरबीजे 8 की नजीरें उद्धरित कर कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 2167 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है और मौके पर रास्ता भौतिक रूप से तहसीलदार द्वारा दिनांक 03 मई 2024 का खुलवाया जा चुका है। इन परिस्थितियों में आलौच्य अपील औचित्यविहीन हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पों. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु याचित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता उपलब्ध कराते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपीलाण्ट-अप्रार्थी की मंशा प्रकरण को येन-केन-प्रकरेण लम्बित रखने की रही है और इसी आशय से विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कराया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मतः तौर पर दिनांक 12 फरवरी 2024 को खारिज किया जा चुका है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसी प्रकार विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से आपत्तियॉ धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत की गयी है,जबकि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में आपत्तियां प्रस्तुत करने के प्रावधान है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। मौके पर जो वैकल्पिक रास्ते होना अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष बताया गया है, उनकी पुष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से नहीं होती है। खसरा संख्या 489/2 जिसे आम रास्ता बताया गया, वह निजी खातेदारी भूमि है। खसरा संख्या 488/1 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया, क्योंकि उक्त खसरा की पूर्वी माठ के सहारे मकान व चारदीवारी निर्मित है, अतः उस में से रास्ता सम्भव नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि गुणावगुण के संबंध में अपील अपीलाण्ट सारहीन है तथा किसी प्रकार की छुटपुट तकनीकी भूल रह जाने के आधार पर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से दिनांक 10 जनवरी 2024 को अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के संलग्न नजरी नक्शें में बिन्दु पी-क्यू-आर-एस से दर्शाये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये रास्ते से आम रास्ता खसरा संख्या 489/2 से होते हुए खसरा संख्या 488/1 की दक्षिणी माठ व खसरा संख्या 489/6, 489/7 व 489/8 की माठ के मध्य होते हुए रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन के लिए पीढियों से किया जाना जाहिर किया गया है। विचारण न्यायालय में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 19 जुलाई 2023 में मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया है, किन्तु उक्त रिपोर्ट अप्रार्थी-अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार किया जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय समक्ष आपत्तियॉ पेश कर समुचित विवरण सहित नजरी नक्शा में दर्शाते हुए मौके पर जो वैकल्पिक रास्ता होना जाहिर किया गया है, न्यायहित में उसकी तस्दीक कराया जाना आवश्यक था, मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि का जो प्रतिकर विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उस पेटे विचारण न्यायालय द्वारा कोई राशि प्राप्त कर लिया जाना उपलब्ध अभिलेख से प्रकट नहीं होता है, अतः अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में म्युटेशन स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने मात्र के आधार पर आलौच्य अपील औचित्यविहीन नहीं हो जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाता है कि पक्षकारान को पुनः सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर उपरोक्त आब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार विचारण न्यायालय का श्रवणाधिकार सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मतः कार्यवाही करते हुए मौके पर रेस्पो. की खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होने अथवा नहीं होने के तथ्य की तस्दीक की जाकर प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर